कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– दिनांक–

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय :– चतरा जिले अन्तर्गत हरहद से बमने अरिहन्त पेट्रोल पंप तक सीटी गैस पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल 0.3928 हे0 (चतरा दक्षिणी– 0.2846 हे0 एवं चतरा उत्तरी– 0.1082 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 79 दिनांक 02.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा चतरा जिले अन्तर्गत हरहद से बमने अरिहन्त पेट्रोल पंप तक सीटी गैस पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल 0.3928 हे0 (चतरा दक्षिणी– 0.2846 हे0 एवं चतरा उत्तरी– 0.1082 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव, संख्या– FP/JH/Pipeline/145009/2021 ऑनलाईन तथा Hard Copy में इस कार्यालय को 05–05 मूल प्रतियों में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त एवं जाँचोपरान्त, निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी है, जो निम्नवत् है :–

1. प्रस्ताव के साथ समर्पित Authenticated land schedule के जाँचोपरान्त पाया गया की चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा– लक्षणपुर के प्लॉट सं0– 216 एवं 213 तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा– होलमगाड़ा खुर्द के प्लॉट सं0– 406 को अधिसूचित वनभूमि के रूप में दर्शाया गया है जबकि उक्त तीनों प्लॉट उपायुक्त चतरा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार GMJJ plot हैं।

   अतएव, उक्त तीनों प्लॉट के Nature/type of land को सुनिश्चित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए संशोधित Authenticated land schedule अथवा GMJJ NOC समर्पित किया जाय।
2. प्रस्ताव के साथ निम्नांकित मौजा का ग्राम Cadastral मानचित्र पत्र लोकेशन दर्शाते हुए समर्पित नहीं किया गया है :–
   - होलमगाड़ा खुर्द
   - मिश्रोल
   - सोनबीघा
   - कुल्लू
   - तपेज
   - नाग्वा
3. प्रस्ताव के साथ समर्पित Topo map पर Toposheet संख्या अंकित नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ परियोजना का Layout plan समर्पित नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत पड़ने वाली गैर वनभूमि की भूमि अनुसूची (Land schedule mentioning length & width) समर्पित नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ No violation of FC Act, 1980 से संबंधित Undertaking समर्पित नहीं है।

7. ऑनलाईन फॉर्म–A, पार्ट–I, क्रम सं0– (iii) "प्रस्ताव का संक्षिप्त वर्णन" में वनभूमि का रकबा 0.4114 अंकित है जबकि 0.3928 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव, फॉर्म–A, पार्ट–I में वांछित सुधार कि आवश्यकता है।

8. प्रस्ताव के साथ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत Employment generation संबंधी सूचना संलग्न नहीं है।

9. ऑनलाईन फॉर्म–A, पार्ट–I, क्रम सं0– B -2.3 में कुल वनभूमि का रकबा 0.3891 हे0 अंकित किया गया है जबकि 0.3928 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव, फॉर्म–A, पार्ट–I में वांछित सुधार कि आवश्यकता है।

10. चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव में Paging एवं Annexures को टीक ढंग से चिन्हित नहीं किया गया है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव ऑनलाईन वापस वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित सभी त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन एवं Hard Copy पाँच–पाँच प्रतियों में समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

श्री मनोज
23/2/24

विश्वासभाजन,

ह०/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 185 दिनांक– 22/2/2024

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
22/02/2024

कार्यालय ... मुख्य वन संरक्षक
प्राप्ति ... 944
दिनांक 26.02.24

763
26/02/24

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

ज्ञापांक : 389 दिनांक : 26.02.2024

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त पृच्छाओं का निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

कार्यालयः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चत्तरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक – 574 दिनांक– 26.02.24

प्रतिलिपि– श्री चेतन कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दुवार आपत्तियों का ऑनलाईन एवं ऑफलाईन निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन ससमय भेजा जा सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
चत्तरा उत्तरी वन प्रमंडल

26/02/24